बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

संख्या ....05.............. दिनांक 27/07/2018

बिहार विद्युत उत्पादन उपक्रम अंतरण योजना, 2018

विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 131, 134 एवं अन्य लागू उपबंधों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतदद्वारा (क) BSPGCL का बेगुसाराय में स्थित बरौनी थर्मल पावर स्टेशन (BTPS) स्टेज-1 तथा स्टेज-2; (ख) BSPGCL का नबीनगर पावर जेनरेटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (NPGCL) में हिस्सापूँजी योगदान और (ग) BSPGCL का कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड (KBUNL) में हिस्सापूँजी योगदान के तहत् BSPGCL में निहित परिसंपत्तियों, हितों, अधिकारों, निर्दिष्ट संपत्तियों , निर्दिष्ट देयताएं और निर्दिष्ट कर्मियों को NTPC लिमिटेड को हस्तांतरण के उद्देश्य के विषय में यह अंतरण योजना निर्मित की गयी है।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक (बाद में अधिसूचित किया जाना है) को 'बिहार विद्युत् उत्पादन उपक्रम अंतरण योजना, 2018' ("अंतरण योजना") लागू किया जाता है, तथा इस तिथि के प्रभाव से उपरोक्त विशिष्ट उल्लेखित BSPGCL की परिसंपत्तियों, हितों, अधिकारों, संपत्तियों, देयताएं और कर्मियों को NTPC लिमिटेड (सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी जिसका पंजीकरण संख्या CIN L40101DL1975GOI007966 दिनांक 07.11.1975) को अंतरित माना जायेगा।

जबकि इसी संदर्भ में बिहार सरकार (GOB), बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (BSPHCL), बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (BSPGCL), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (BSPTCL), उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड (NBPDCL), दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (SBPDCL) एवं एनटीपीसी लिमिटेड (NTPC), जिन्हें सामूहिक रूप से " पक्षों " के रूप में संदर्भित किया गया है और व्यक्तिगत रूप से 'पक्ष' के रूप में संदर्भित किया गया है, के बीच दिनांक 15.05.2018 को एक समझौता ज्ञापन (MOU) निष्पादित किया गया है, जिसके द्वारा GOB, BSPHCL, BSPGCL, BSPTCL, NBPDCL, एवं SBPDCL जिन्हें "बिहार सरकार के पक्षों " के रूप में संदर्भित किया गया है, (क) BSPGCL का बेगुसाराय में स्थित बरौनी थर्मल पावर स्टेशन (BTPS) स्टेज - 1 और स्टेज -2; (ख) BSPGCL का नबीनगर पावर जेनरेटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (NPGCL) में हिस्सापूँजी योगदान और (ग) BSPGCL का कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड (KBUNL) में

हिस्सापूँजी योगदान के तहत् BSPGCL में निहित परिसंपत्तियों, हितों, अधिकारों, निर्दिष्ट संपत्तियों, निर्दिष्ट देयताएं और निर्दिष्ट कर्मियों को NTPC को अंतरण करने के लिए सहमत हैं ।.

और जबकि समझौता ज्ञापन (MOU) के अनुसरण में, पक्षों द्वारा निम्नांकित बिन्दुओ पर सहमति व्यक्त की है तथा / या निम्नलिखित कदम उठाये जा रहें हैं:

I. **NTPC निम्नानुसार बरौनी थर्मल पावर स्टेशन (BTPS) की संपत्तियों का अधिग्रहण करेगा:**

क. स्टेज - I: NTPC BTPS के स्टेज - I (ईकाई संख्या 6 एवं 7 – 2 x 110 मेगावाट) का **"जहां-है-जैसा-है"** के आधार पर अधिग्रहण करेगा। इसके अलावा, चूंकि केंद्र / राज्य सरकार से अनुदान के माध्यम से स्टेज-I के जीर्णोद्धार एवं नवीकरण का संचालन किया जा रहा है, इसलिए शेष अनुदान (निति आयोग और अन्य स्रोतों द्वारा प्राप्त, यदि कुछ हो तब) NTPC को शेष जीर्णोद्धार एवं नवीकरण कार्यों को पूरा करने के लिए हस्तांतरित कर दिया जाएगा; अन्यथा इसका भुगतान BSPGCL द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, NTPC द्वारा स्टेज -I के शेष जीर्णोद्धार एवं नवीकरण कार्यों (अनुसूची 'क', भाग- II, बिंदु 'घ' में दी गई विवरणी) को पूर्ण करने हेतु आकस्मिक व्यय को समायोजित करने के लिए एक अतिरिक्त राशि अपने पास रख सकता है;

ख. स्टेज - II: NTPC BTPS के स्टेज - 2 (ईकाई संख्या 8 एवं 9 – 2 x 250 मेगावाट) का अधिग्रहण करेगा। शेष कार्य NTPC द्वारा सर्वोत्तम प्रयासों के आधार पर 18 महीने के भीतर पूर्ण किया जाएगा। BTPS स्टेज -2 के शेष कार्य को पूर्ण करने एवं निर्माणाधीन ब्याज की लागत, प्री-कमीशनिंग, ओवरहेड्स, वित्तपोषण शुल्क इत्यादि तथा अन्य देनदारियों हेतु आवश्यक राशि BTPS परिसंपत्तियों के अंतरण से BSPGCL को प्राप्त राशि में से NTPC द्वारा समायोजित किया जाएगा;

ग. उक्त परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु NTPC के पास रखी गई राशि में से परियोजनाओं को पूर्ण होने तथा विक्रेताओं (वेंडरों) के भुगतान के निपटारे के पश्चात वास्तविक व्यय के अनुसार NTPC के यदि कोई राशि शेष रह जाती है, तब इस शेष राशि का समायोजन बिहार डिस्कॉम के उर्जा क्रय मद में बकाये को समायोजित किया जाएगा;

घ. यदि केंद्रीय विद्युत् विनियामक आयोग (CERC) के अनुमोदन के अधीन किसी अन्य आवश्यक सुविधा या पर्यावरण नियमों / नियामक / वैधानिक आदेश को पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है, तब यह अतिरिक्त राशि अनुच्छेद IX 'ख' के अनुसार टैरिफ के निर्धारण के लिए पूंजीगत लागत का हिस्सा होगा।

II. **NTPC द्वारा BSPGCL की KBUNL में हिस्सा पूँजी को क्रय करना होगा ;**

III. **NTPC द्वारा BSPGCL की NPGCL में हिस्सा पूँजी को क्रय करना होगा ;**

IV. **संपत्ति के हस्तांतरण और हिस्सापूँजी को क्रय करने हेतु NTPC द्वारा BSPGCLको भुगतान निम्नानुसार होगा :**

क. BTPS की परिसंपत्तियों का मूल्य पार्टियों के बीच सहमति के अनुसार CERC द्वारा स्वीकृति के अधीन होगा तथा यह बिहार डिस्कॉम द्वारा देय निर्धारित प्रभार के निर्धारण के लिए आधार बनायेगा । NTPC द्वारा BTPS की परिसंपत्तियों के अंतरण का मूल्य, समायोजन, यदि कोई हो तब, के पश्चात् BSPGCL को भुगतान करेगा -

i. सहमति के अनुसार, BTPS परिसंपत्तियों के अंतरण मूल्य में NTPC द्वारा स्टेज -2 की ईकाईयों को पूर्ण करने हेतु अनुमानित लागत, जिसमें प्रत्यक्ष पूंजी व्यय, निर्माण के दौरान ब्याज, प्री-कमिशनिंग, ओवरहेड्स, वित्तपोषण शुल्क आदि हैं, भी शामिल होंगी, ताकि उन्हें निरंतर वाणिज्यिक संचालन के लिए सक्षम किया जा सके ।

ii. सभी पक्ष इस बात से सहमत हैं कि BTPS स्टेज -1 की सेवा मुक्त ईकाईयां (ईकाई संख्या 1 से 5), संबंधित स्क्रैप / इन्वेंट्री अंतरण मूल्य का हिस्सा नहीं बनातीं । इन इकाइयों को (संबंधित स्क्रैप / स्टोर में इन्वेंट्री के साथ) NTPC द्वारा BSPGCL के जोखिम एवं लागत (risk and cost) के आधार पर विघटित कर बिक्री किया जाएगा। NTPC को यह सुनिश्चित करना है कि ये ईकाईयां उचित रूप से सर्वश्रेष्ठ और प्रभावी ढंग से निपटान की जा रही हैं ताकि वे अपनी उचित राजस्व क्षमता की प्राप्ति कर सकें । इस बिक्री से प्राप्त राशि में से प्रशासनिक और आकस्मिक व्यय को घटाकर जो राशि बचती है, वह GOB / BSPGCL की होगी, एवं इसका समायोजन NBPDCL तथा SBPDCL से NTPC को होने वाली प्राप्तियों हेतु किया जा सकता है।

ख. KBUNL और NPGCL में BSPGCL की इक्विटी शेयरों को अंकित मूल्य पर NTPC द्वारा अधिग्रहण किया जाएगा ।

ग. BTPS की परिसंपत्तियों तथा KBUNL और NPGCL की हिस्सापून्जी क्रय से प्राप्त सकल अंतरण मूल्य में से सर्वप्रथम बिहार डिस्कॉम के KBUNL से उर्जा क्रय मद में बकाया ऋण एवं देनदारियों को समायोजित किया जाएगा।

घ. BTPS के कुल अंतरण मूल्य (पूर्ण करने की लागत सहित) को BSPGCL के रोकड़ दस्तावेजों में समायोजन हेतु किया जाएगा।

V. निधियों का उपयोग: BTPS और KBUNL एवं NPGCL के इक्विटी शेयरों के अंतरण से प्राप्त निधियों का उपयोग BSPGCL द्वारा सर्वप्रथम वित्तीय संस्थाओं / बैंकों के साथ अपने बकाया ऋण, प्री-पेमेंट शुल्कों के साथ, का निपटान करने के लिए किया जाएगा । ऋण दायित्वों के निपटारे के बाद किसी भी शेष राशि का उपयोग बिहार डिस्कॉम के बिजली खरीद बकाया के समायोजन के लिए किया जाएगा। इसी का अनुसूची 'क' (भाग- V) में विस्तृत किया गया है।

VI. बिजली क्रय एकरारनामा (PPA) का प्रशोधन:

क. विद्यमान बिजली क्रय एकरारनामा की व्यवस्था लागू रहेगी;

ख. BTPS के लिए बिहार डिस्कॉम के साथ BSPGCL द्वारा हस्ताक्षर किए गए बिजली क्रय एकरारनामा में एक संशोधित एवं पुनर्कथित / पूरक बिजली क्रय एकरारनामा के माध्यम से BTPS परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के साथ NTPC को सौंपा जाएगा, जिसमें NTPC को बिहार डिस्कॉम द्वारा प्रदत्त भुगतान सुरक्षा व्यवस्था हेतु अन्य आवश्यक परिवर्तन शामिल होंगे तथा यह बिहार डिस्कॉम के साथ NTPC के अन्य PPA के अनुसार होगा।

VII. BTPS हेतु जलापूर्ति : बिहार सरकार और BSPGCL यह सुनिश्चित करेंगे कि BTPS परिसंपत्तियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए चल रही आकस्मिक योजना उपयुक्त रूप से संवर्धित की जाएगी।

VIII. BTPS हेतु कोयला आपूर्ति : BTPS को कोयला आपूर्ति हेतु BTPS को आवंटित निम्नलिखित कोल लिंकेज के अंतरण के लिए BSPGCL द्वारा विद्युत् मंत्रालय, भारत सरकार (MOP) / कोयला मंत्रालय, भारत सरकार (MOC) को आवेदन दिया जायेगा :

क. BTPS स्टेज-1 का NTPC द्वारा अधिग्रहण पर ECL के साथ अनुबंधित वार्षिक 1.1 MTPA कोयला की आपूर्ति हेतु की गई ईंधन आपूर्ति करारनामा (FSA) स्थायी लिंकेज समिति (दीर्घकालिक), विद्युत् मंत्रालय / कोयला मंत्रालय से आवश्यक अनुमति सहित।

ख. CCL कोयला खानों से BTPS स्टेज-2 के लिए 1.07 MTPA की मौजुदा ब्रिज लिंकेज।

ग. भारत सरकार के शक्ति योजना (SHAKTI), 2017 के तहत BTPS स्टेज -2 के लिए कोयले के आवंटन के लिए MOP / MOC में आवेदन।

घ. यह भी कि BSPGCL को आवंटित बादम कोल ब्लॉक के सम्बन्ध में NTPC एवं BSPGCL के बीच यह भी सहमति बनी है कि उक्त कोयला ब्लॉक को विकसित करने में आ रही कठिनाईयों को देखते हुए BSPGCL द्वारा इसे भारत सरकार के कोयला मंत्रालय को वापस सौंप दिया जाएगा। इसके परिणाम स्वरुप यदि कोई जुर्माना, वसूली या समर्पण शुल्क भारित किया जाता है, तो उसे NTPC द्वारा BTPS के स्वामित्व हस्तांतरण के एवज में भुगतेय अंतरण निधि में जोड़ा जाएगा तथा उस रकम को BTPS के विद्युत् टैरिफ में केन्द्रीय विद्युत् विनियामक आयोग से स्वीकृति प्राप्त कर समायोजित किया जाएगा। यदि केन्द्रीय विद्युत् विनियामक आयोग द्वारा उक्त समायोजन की स्वीकृति नहीं दी जाती है तो वैसी परिस्थिति में BTPS के स्वामित्व ग्राहण के पश्चात NTPC उक्त राशि को परस्पर मान्य शर्तों पर PPA के अनुपातिक आधार पर वितरण कम्पनीयों से प्राप्त कर सकता है।

IX. टैरिफ निर्धारण:

क. BTPS परिसंपत्तियों के NTPC को अंतरण तथा अधिकृत करने की तिथि पर, BTPS केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (CERC) अधिनियम के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा तथा इनके टैरिफ का निर्धारण विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1) के अनुसार होगा।

ख. बादम कोल ब्लॉक के लिए, BSPGCL द्वारा कोल ब्लॉक को वापस सौपने के पश्चात, भारित जुर्माना, वसुली या समर्पण शुल्क (यदि कोई होता है), को BTPS के स्वामित्व हस्तांतरण के एवज में भुगतेय अंतरण निधि में जोड़ा जाएगा तथा उस रकम को BTPS के विद्युत् टैरिफ में केन्द्रीय विद्युत् विनियामक आयोग से स्वीकृति प्राप्त कर समायोजित किया जाएगा । यदि केन्द्रीय विद्युत् विनियामक आयोग द्वारा उक्त समायोजन की स्वीकृति नहीं दी जाती है तो वैसी परिस्थिति में BTPS के स्वामित्व ग्राहण के पश्चात NTPC उक्त राशि को परस्पर मान्य शर्तो पर PPA के अनुपातिक आधार पर वितरण कम्पनीयों से प्राप्त कर सकता है ।

ग. यदि केंद्रीय विद्युत् विनियामक आयोग (CERC) के अनुमोदन के अधीन किसी अन्य आवश्यक सुविधा या पर्यावरण नियमों / नियामक / वैधानिक आदेश को पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है, तब यह अतिरिक्त राशि टैरिफ के निर्धारण हेतु पूंजीगत लागत का हिस्सा होगा ।

घ. NTPC द्वारा BTPS ईकाइयों के व्यय पर विवेकपूर्ण जांच का प्रयोग करेगी ताकि सामान्य परिस्थितियों में (कानूनी, वैधानिक एवं प्राकृतिक आपदा की परिस्थितियों को छोड़कर) BTPS ईकाइयों के निर्धारित प्रभार को प्रथम वर्ष के अनुमानित निर्धारित प्रभार के 10% के भीतर रखा जा सके । यदि परियोजना लागत के बढ़ने से निर्धारित प्रभार में 10% से अधिक की बढ़ोतरी संभावित हो, तब NTPC को बिहार सरकार से ऐसी परियोजना लागत की वृद्धि से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा ।

1 *लघु शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ : -*

1.1 यह योजना ' बिहार विद्युत् उत्पादन उपक्रम अंतरण योजना, 2018' कहलाएगी ।

1.2 इस योजना का विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य एवं इसके अंतर्गत अवस्थित सम्पतियों, हितों, अधिकारों, निर्दिष्ट उपक्रम की सम्पतियों जहाँ भी स्थित हो, पर लागु होगा ।

1.3 यह योजना गजट के प्रकाशन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत होगा ।

2 *परिभाषाएं – इस योजना में जबतक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हों : -*

(क) "अधिनियम " से अभिप्राय है विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) और उसके पश्चात संशोधनों ;

(ख) "संशोधित एवं पुनर्कथित PPA" से अभिप्राय है इस स्कीम के अंतर्गत NTPC एवं बिहार डिस्कॉम के अलोक में उत्पादन उपक्रम के अंतरण एवं निहित और तत्पश्चात NTPC के हितों के सन्दर्भ में बिजली क्रय एकरारनामा;

(ग) "परिसम्पतियों" से अभिप्राय है सभी परिसम्पतियां एवं सम्पतियाँ, साथ ही विद्युत व्यवस्था, प्लांट, मशीनरी, भूमि, भवन, कार्यालय, भंडार, फर्नीचर, जुड़नार, सवारी, आवासीय कवाटर एवं अतिथिगृहों एवं सुख –सुविधा तथा उससे सम्बंधित एवं संलग्न अधिष्ठानो और अन्य चल-

अचल परिसम्पतियाँ, हस्तगत रोकड़, बैंक में नगद, विनिवेश, पुस्त-विकलन-मूर्त एवं अमूर्त, वास्तविक एवं अवास्तविक परिसम्पतियाँ, लाभ, लाइसेंस, सहमति, प्रांधिकार, निबंधन, पेटेंट, ट्रेडमार्क और हर प्रकार, स्वरुप और विवरण की , जो भी हो, शक्तियां, विशेषाधिकार, स्वतंत्रता, सुविधाधिकार, फायदे, लाभ एवं अनुमोदन, संविदा, डीड, स्कीमो, बांड, इकरारनामा और अन्य उपकरण एवं हित, चाहे जैसे भी स्वरुप का हो और जहाँ कही भी अवस्थित हो तथा साथ ही आकस्मिक परिसम्पतियाँ, जो विनिर्दिष्ट उपक्रमों के सम्बन्ध में अंतरण की प्रभावी तिथि के पूर्व कार्यान्वियन के सम्बन्ध में उठें ;

(घ) "बिहार डिस्कॉम" से अभिप्राय है, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूसन कम्पनी (NBPDCL) एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूसन कम्पनी (SBPDCL) अर्थात बिहार राज्य की दोनों वितरण लाईसेंस धारी कम्पनियाँ ;

(ङ) "BSPGCL" से अभिप्राय है बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड ;

(च) "BTPS" से अभिप्राय है बरौनी वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान, बेगुसराय, बिहार ;

(छ) "अंतरण की प्रभावी तिथि" से अभिप्राय है जब राज्य सरकार के आदेशानुसार निर्दिष्ट सभी परिसंपत्तियां एवं हक का हस्तांतरण अन्तरणकर्ता को होगा ;

(ज) "KBUNL" से अभिप्राय है कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड, NTPC एवं BSPGCLका संयुक्त उपक्रम ;

(झ) "दायित्वों" से अभिप्राय है कि सभी दायित्व, ऋण, कर्तब्य, बाध्यताएँ और अन्य बकायों जिसमें वैधानिक दायित्व एवं किसी भी प्रकृति के सरकारी कर एवं आकस्मिक दायित्व, जो इस योजना के तहत अंतरिती को इस योजना में यथा उल्लिखित अंतिम रूप से अंतरित विशिष्ट प्रतिष्ठानों के संबंध में अंतरण की प्रभावी तिथि से पूर्व लेन-देन के मामले में उत्पन्न हो ;

(ञ) "MOU" से अभिप्राय है बिहार सरकार, BSPHCL, BSPGCL, BSPTCL, NBPDCL, SBPDCLतथा NTPC लिमिटेड के बीच दिनांक 15.05.2018 को हस्ताक्षरित समझौते का दस्तावेज (समझौता ज्ञापन);

(त) "NPGCL" से अभिप्राय है नवीनगर पावर जेनरेटिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, NTPC एवं BSPGCL का संयुक्त उपक्रम ;

(थ) "NTPC" से अभिप्राय है नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, भारत सरकार का लोक उपक्रम ;

(द) "PPA" से अभिप्राय है बिजली क्रय एकरारनामा या वर्तमान में BSPGCL एवं बिहार डिस्कॉम के मध्य BTPS स्टेज-1 एवं स्टेज-2 के लिए बिजली क्रय एकरारनामा प्रसांगिक सीमा तक, KBUNL एवं बिहार डिस्कॉम के मध्य बिजली क्रय एकरारनामा और NPGCL एवं बिहार डिस्कॉम के मध्य बिजली क्रय एकरारनामा ;

(ध) "कार्यवाहियाँ" से अभिप्राय है वैसी कार्यवाहियाँ चाहे जिस स्वरूप की हों और इनमें वाद, अपील, परिवाद, अर्जी, आवेदन, अनुरंजनात्मक, माध्यस्थम (आरबीटेशन), चाहे सिविल हो या आपराधिक अथवा अन्यथा, जिसमें अंतरणकर्ता पक्षकारों में से एक है ;

(न) **"अनुसूची"** से अभिप्राय है इस योजना से संलग्न अनुसूचियाँ ;

(ट) **"निर्दिष्ट देनदारियां"** से अभिप्राय है केवल उन देनदारियों से है जो अनुसूची-ख में अंकित है एवं इसमें अंतरण के प्रभावी तिथि के पूर्व की कोई अन्य आकस्मिक देनदारियां सम्मिलित नहीं है ;

(ठ) **"निर्दिष्ट कार्मिक"** से अभिप्राय है इस योजना के अधिसूचित होने की तिथि पर अंतरणकर्ता के कामगार, कर्मचारी, स्टाफ एवं पदाधिकारी, जो BTPS स्टेज-1 एवं स्टेज-2 में नियमित पंजी पर हैं, चाहे उन्हें जिस भी नाम से पुकारा जाता है ;

(ड) **"निर्दिष्ट उपक्रम"** से निम्नलिखित अभिप्राय है: (क) BTPS स्टेज-1 एवं स्टेज-2 , जो बेगुसराय, बिहार में स्थित है; (ख) NPGCL में BSPGCL की निहित हिस्सापूंजी; (ग) KBUNL में BSPGCL की निहित हिस्सापूंजी जैसा कि इस स्कीम के अनुसूची-क वर्णित है ;

(ढ) **"राज्य"** से अभिप्राय है बिहार राज्य ;

(ण) **"राज्य सरकार"** से अभिप्राय है बिहार सरकार,

(प) **"अंतरणकर्ता"** से अभिप्राय है BTPS स्टेज-1 एवं स्टेज-2, जो बेगुसराय बिहार में स्थित है और KBUNL एवं NPGCL निहित हिस्सपूंजी ;

(फ) **"अंतरिती"** से अभिप्राय है NTPC;

(ब) **"उपक्रम"** से अभिप्राय है अंतरणकर्ता के उपक्रमों के भाग के रूप में निर्दिष्ट सीमा तक एवं रीति में संपत्तियों, उत्पादन कम्पनियों में हिस्सेदारी, हितों, अधिकारों, दायित्वों, बाध्यताओं, कार्यवाहियों के कृत्यों, कारोबार और समूह अथवा समूहों का होना और ऐसी अन्य संपत्तियाँ, हितो, अधिकारों, परिसम्पत्तियाँ, दायित्व, बाध्यताएं और कार्यवाहियां तथा जहाँ संदर्भ की गुंजाइश हो वहाँ कृत्यों को सुसंगत योजना में यथा विनिर्दिष्ट कार्मिक शामिल होंगे ;

(भ) वैसे शब्द एवं अभिव्यक्ति, जिनका इस्तेमाल योजना में किया गया है और अधिनियम में भी परिभाषित हैं, किंतु इस योजना में विशिष्ट रूप से परिभाषित नहीं है, उनका वही अभिप्राय होगा जैसा कि अधिनियम में उन्हें निर्धारित किया गया है ।

3 *निर्दिष्ट उपक्रमों का अंतरण : -*

3 .1 अंतरण की प्रभावी तिथि पर एवं से, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित, अनुसूची-क में सूचीबद्ध संबंधित निर्दिष्ट उपक्रम, अनुसूची बी में सूचीबद्ध निर्दिष्ट देयताएं के साथ प्रासंगिक अंतरणकर्ता से अंतरित कर दिए जाएंगे एवं राज्य सरकार या अंतरणकर्ता या अंतरिती या किसी अन्य व्यक्ति के किसी भी अग्रतर कार्यवाही या वस्तु के बिना अधिनियम और इस योजना में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के साथ अंतरिती में निहित हो जाएँगी। विशेषकर BTPS से संबंधित भूमि NTPC को प्रभावी अंतरण की तिथि से 33 वर्ष की अवधि के लिए एक सांकेतिक लीज पर दिया जाएगा, अपितु इसका स्वामित्व बिहार सरकार / BSPGCL के पास ही जारी रहेगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि भविष्य में एनटीपीसी का किसी भी कारणवश विनिवेश तथा / अथवा निजीकरण किया जाता है, तब वैसी परिस्थिति में प्रश्नगत भूमि का लीज एक पक्ष से किसी अन्य पक्ष को अंतरित होने के कारण भूमि का स्वामित्व BSPGCL / बिहार सरकार के पास ही रहेगा।

3.2 इस प्रकार निर्दिष्ट उपक्रम के उपखंड 3.1 के आधार पर अंतरित एवं निहित करने के पश्चात्, अंतरिती को निर्दिष्ट उपक्रमों में अधिकार प्रदत्त हो जायेंगे और वह अभी तक प्रासंगिक अंतरणकर्ता के द्वारा किये जाने वाले कार्य एवं अधिकारों, जो सभी कार्यों, अनुबंधों, अधिकारों, दस्तावेजों, योजनाओं, समझौतों, कार्यवाहियों तथा किसी भी प्रकृति के अन्य उपकरणों का निर्वहन शुरू करेगा, जो अंतरिती को हस्तांतरित निर्दिष्ट उपक्रमों से संबंधित हो, जिसका प्रासंगिक अंतरणकर्ता एक पक्ष है, संविदा या अंतरण की तिथि पर प्रभाव पड़ रहा हो, तथा वह अंतरिती के लिए या पक्ष में प्रभावी रहेगा जैसे कि अंतरिती प्रासंगिक अंतरणकर्ता के बजाय एक पक्ष थी ।

3.3 निर्दिष्ट उपक्रम की देयताएँ जो परियोजना से सम्बंधित शुरू से किया गया अथवा अंतरण की प्रभावी तिथि के पूर्व से सम्बंधित है, निर्दिष्ट देयताओं को छोड़कर प्रासंगिक अंतरणकर्ता के जिम्मे होगा एवं अंतरणकर्ता को किसी भी तरह से इसके लिये उत्तरदायी या जिम्मेवार नहीं बनाया जायेगा। उपरोक्त से सम्बन्धित अंतरण के प्रभावी तिथि के बाद निर्दिष्ट उपक्रमों से सम्बन्धित उत्पन्न किसी भी मामले या दावा या विवाद से सम्बन्धित सभी एवार्डस, डिक्रीज या किसी न्यायालय, ट्रिब्यूनल या अन्य प्राधिकार के आदेश के पालन की जिम्मेवारी अंतरणकर्ता की होगी। अंतरण के प्रभावी तिथि के बाद मुकदमों एवं कार्यवाही सहित सभी देनदारियां जो निर्दिष्ट उपक्रमों से सम्बन्धित है, के भुगतान की जिम्मेवारी ही केवल अंतरणकर्ता की होगी एवं अंतरण के प्रभावी तिथि के पूर्व से सम्बन्धित कोई भी देयता या मामला लेकिन जिसकी जानकारी अंतरण के प्रभावी तिथि के बाद होती है, का उत्तरदायी या जिम्मेवारी अंतरणकर्ता की नहीं होगी।

3.4 निर्दिष्ट उपक्रमों के अंतरण एवं अधिकृत करने के विचार के रूप में जो इस योजना में निहित है, अंतरिती द्वारा अनुसूची-क के अनुरूप सम्पति अंतरण मूल्य का भुगतान अंतरणकर्ता को करना होगा।

3.5 प्रासंगिक अंतरणकर्ता संपत्तियों, परिसंपत्तियों, हितों एवं ग्रहणाधिकार, सुरक्षित या असुरक्षित, आकस्मिक या अन्यथा मौजूदा पर सभी बकाया ऋण का अंतरण की प्रभावी तिथि तक निर्दिष्ट उत्तरदायित्व को छोड़कर विधिवत निर्वहन करेगा और सुनिश्चित करेगा कि संपत्तियों, परिसंपत्तियों, अधिकार आदि जो कि अंतरिती को अंतरित एवं निहित किए जा रहे हैं सभी बाधाओं ,ग्रहणाधिकार या किसी भी प्रकार के शुल्क से मुक्त

है। प्रासंगिक अंतरणकर्ता द्वारा ऋणदाताओं एवं अन्य से जिनका संपत्तियों, परिसंपत्तियों और हितों पर कोई भी ग्रहणाधिकार है किसी भी शुल्क बाधा या ग्रहणाधिकार से मुक्त आवश्यक अनुमोदन और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की व्यवस्था करेगा।

3.6 NTPC द्वारा BTPS के सम्पूर्ण उपलब्ध क्षमता से उत्पादित बिजली की आपूर्ति केन्द्र सरकार के अनुमोदन के अधीन बिहार डिस्कॉम को किया जाएगा, और यह NTPC और बिहार डिस्कॉम के बीच हस्ताक्षर किए जाने वाले संशोधित एवं पुनर्कथित / अनुपूरक बिजली क्रय एकरारनामा (PPA), जो केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ नियमों और शर्तों के अनुरूप एवं NTPC तथा बिहार डिस्कॉम के बीच हस्ताक्षर किए गए अन्य मानक बिजली क्रय एकरारनामा के अनुसार संशोधित एवं पुनर्कथित होगा।

4 *कर्मियों का हस्तांतरण: -*

4.1 किसी भी निर्दिष्ट कर्मी को NTPC में हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। NTPC द्वारा BSPGCL के कुछ चिन्हित किए गए कर्मीयों को प्रारंभिक स्थिरीकरण अवधि के लिए, सम्पति अंतरण की तिथि से अधिकतम 90 दिनों के लिए प्रतिनियुक्ति पर रखने हेतु NTPC एव बिहार सरकार / BSPGCL द्वारा तय किए गए प्रत्यावर्तन योजना की सहमति के अनुरूप कर्मीयों को प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

चिन्हित कर्मीयों के BTPS में प्रतिनियुक्ति अवधि का पूर्ण दायित्व केवल BSPGCL द्वारा वहन किया जाएगा, इसमें NTPC का कोई वास्ता नहीं होगा।

5 *तृतीय पक्षों के प्रतिबंधित अधिभार एवं दायित्व : -*

इस अधिनियम एवं योजना के प्रावधानों एवं योजना के अनुरूप अंतरण होने पर, इस योजना अथवा हस्तांतरित एवं अंतरणकर्ता के बीच किसी पूरक समझौते में अंतरिती को प्रदत देयता सीमा के अधीन, सभी व्यक्तियों के अधिकार एवं दायित्व अंतरिती में निहित होंगे एवं ऐसा कोई भी व्यक्ति अंतरिती के विरूद्ध किसी अधिकार अथवा हित का दावा नहीं करेंगें।

6 राज्य सरकार निम्नलिखित के पूरा होने के बाद निर्दिष्ट उपक्रम और निर्दिष्ट कर्मियों के लिए अंतरण की प्रभावी तिथि को अधिसूचित करेगी:

क. BTPS विद्युत नियमावली, 2005 के तहत बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा बिहार डिस्कॉम को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग से बिजली खरीद व्यवस्था के लिए निर्धारित किए जाने वाले टैरिफ नियमों एवं शर्तों पर स्वीकृति;

ख. बिहार डिस्कॉम द्वारा बरौनी थर्मल पावर स्टेशन से बिजली की खरीद के संबंध में संशोधित और पुनर्कथित पीपीए का निष्पादन;

ग. बाधाओं से मुक्त निर्दिष्ट उपक्रम के परिसंपत्तियों एवं हितों के अंतरण के लिये ऋणदाताओं एवं अन्य की अनुमति / अनुमोदन/ अनापत्ति।

घ. ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य के लिए BTPS से 100% बिजली का आवंटन।

ङ. कोयला मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ,BTPS को आवंटित निम्नांकित कोल लिंकेज का निर्दिष्टीकरण:

1. NTPC द्वारा BTPS स्टेज-1 को नियंत्रण में लेने पर स्थायी संबंधन समिति (दीर्घकालिक), विद्युत् मंत्रालय / कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से आवश्यक अनुमति सहित BTPS स्टेज-1 के लिए ECL के साथ अनुबंधित वार्षिक 1.1 MTPA कोयला की आपूर्ति हेतु मौजूदा ईंधन आपूर्ति करारनामा (FSA) ।

2. CCL कोयलाखानों से बीटीपीएस स्टेज-2 के लिए 1.07 MTPA की मौजुदा ब्रिज लिंकेज का निर्दिष्टीकरण।

च. भारत सरकार की शक्ति योजना 2017 के तहत BSPGCL द्वारा BTPS स्टेज -2 हेतु कोयला आवंटन हेतु विद्युत् मंत्रालय / कोयला मंत्रालय, भारत सरकार को आवेदन ।

छ. NTPC लिमिटेड एवं BSPGCL के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का संशोधन और संस्था के अंतर्नियम, जैसा कि आवश्यक हो सकता है, शेयरों का NTPC को अंतरण करने में सक्षम बनाने एवं BSPGCL का KBUNL से बहिर्गमन के लिए।

ज. NTPC लिमिटेड एवं BSPGCL के बीच हुए संयुक्त उपक्रम समझौते का संशोधन और संस्था के अंतर्नियम ,जैसा कि आवश्यक हो सकता है, शेयरों का NTPC को अंतरण करने में सक्षम बनाने एवं BSPGCL का NPGCL से बहिर्गमन के लिए ।

7. राज्य सरकार BSPGCL के माध्यम से यह दायित्व लेती है कि BTPS स्टेज -2 को पूर्ण करने हेतु अंतरण की प्रभावी तिथि से सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर 3 महीने के भीतर छाई निस्तारण, रेलवे साईडिंग, ऐश वाटर पाईप लाइन कॉरिडोर हेतु लगभग 300 एकड़ अपेक्षित भूमि, मेक-अप जलापूर्ति पाईप लाइन के लिए अपेक्षित मार्ग का अधिकृत रास्ता (ROW) / उपयोग के अधिकार (ROU) प्रदान करेगी ।

8. *कानूनी कार्यवाही से अंतरण:-* यह अंतरण इस योजना के तहत होगा तथा इस योजना के संदर्भ में राज्य सरकार आदेश प्रकाशित कर इसे लागू करेगी तथा राज्य सरकार, अंतरणकर्ता या अंतरिती के बिना किसी भी अग्रतर कार्यवाही, दस्तावेज़ या वस्तु के, इस योजना के नियमों और शर्तों के अधीन प्रभावी होगा ।

9. *कठिनाइयों को दूर करने का अधिकार* : -

क) राज्य सरकार, इस योजना में संशोधन और इस तरह के प्रावधानों, जो इस योजना के तहत इस अंतरण को लागू करने में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो सकता है तथा जो अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हो, अंतरिती की सहमति से *सरकारी राजपत्र* में आदेश प्रकाशित कर सकती है।

ख) यदि इन नियमों के तहत अंतरण के संबंध में कोई संदेह, विवाद, अंतर या मुद्दा उठता है, तब अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, उस पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम और सभी दलों पर बाध्यकारी होगा।

ग) राज्य सरकार, इस तरह के प्रावधानों, जो इन नियमों के तहत इस अंतरण को लागू करने में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो सकता है तथा जो अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हो, आधिकारिक राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर सकती है।

10. *कर की छूट* : -

निर्दिष्ट उपक्रमों के NTPC को हस्तांतरण पर बिहार सरकार द्वारा लगने वाले सभी शुल्कों, चुन्गियों, लेवीयों, करों, स्टाम्प / पंजीकरण शुल्क इत्यादि आकस्मिकताओं को माफ किया जाता है।

नोटः- अंतरण योजना के हिंदी संस्करण के किसी बिंदु या विवरणी पर अस्पष्टता अथवा संशय की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र0/BSPGCL–01/2018 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–उप सचिव, प्रेस (ई–गजट कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के अगामी असाधारण अंक में मुद्रंण हेतु (सी0डी0 एवं दो हार्ड कॉपी के साथ) प्रेषित।

2 उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 100 (एक सौ) प्रतियों ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/–

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र0/BSPGCL–01/2018 1826 /पटना, दिनांक– 27/08/2018

प्रतिलिपिः–मा0 मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मा0 मंत्री ऊर्जा के आप्त सचिव/सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/अध्यक्ष, बिहार विद्युत विनियामक आयोग, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, एन0टी0पी0सी0, स्कोप कम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली/क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक, पूरब–I एन0टी0पी0सी0–लोकनायक जयप्रकाश भवन, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कम्पनी लि0, पटना/ प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कं0 लि0, पटना/प्रबन्ध निदेशक, साउथ/नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, पटना/प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0, पटना/ प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य जिल विद्युत निगम/निदेशक, ब्रेडा, सोन भवन/समाहर्त्ता, बेगुसराय/मुजफ्फरपुर/औरंगाबाद एवं आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।